



स्टेट हेल्थ एजेन्सी-“आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना”  
स्टेट हेल्थ एजेन्सी, उ0प्र0  
चतुर्थ तल, नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ  
email - uprsby@yahoo.co.in



पत्रांक : ए0बी0:पी0एम0जे0ए0वाई0 / पत्रा-431-J / 2025 1847 लखनऊ : दिनांक 29 अप्रैल, 2025

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष (डिस्ट्रिक्ट इम्पैनेलमेंट कमेटी),  
जनपद-प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर,  
लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी

**विषय :- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना अन्तर्गत निजी चिकित्सालयों की सूचीबद्धता हेतु 100 बेड का बाध्यता समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि जनपद स्तर पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत चिकित्सालयों को सूचीबद्ध किये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में “डिस्ट्रिक्ट इम्पैनेलमेंट कमेटी” (D.E.C.) का गठन किया गया है। (D.E.C.) द्वारा जनपद स्तर पर सूचीबद्धता हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों की जांच/भौतिक सत्यापन कराने के पश्चात् अपनी संस्तुति “स्टेट इम्पैनेलमेंट कमेटी” (S.E.C.) को प्रेषित को प्रेषित करती है।

तत्क्रम में पत्रांक ए0बी0:पी0एम0जे0ए0वाई0 / पत्रा-431-J 2023-2024 / 372 दिनांक 09/02/2024 के माध्यम जनपद-प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से चिकित्सालयों की सूचीबद्धता के सम्बन्ध में आई0पी0डी0 मेडिकल बेड्स की संख्या 100 अथवा 100 से अधिक हो एवम् सम्बन्धित चिकित्सालय का मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीकरण 03 वर्ष से अधिक पुराना होना अनिवार्य की बाध्यता की गयी थी।

उक्त के आलोक में इन जनपदों में आयुष्मान के लाभार्थियों की अधिकता को देखते हुए उनको सुविधापरक चिकित्सीय उपचार प्राप्त कराने के उद्देश्य से उक्त एडवाइज़री में शिथिलता प्रदान करते हुए 100 बेड की बाध्यता तथा चिकित्सालय का मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीकरण 03 वर्ष की अनिवार्यता को समाप्त किया जा रहा है।

**संलग्नक-यथोपरि**

भवदीया

(अर्चना वर्मा)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक : ए0बी0:पी0एम0जे0ए0वाई0 / पत्रा-431-J / 2025 तददिनांक

**प्रतिलिपि :-**

- मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद-जनपद-प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अर्चना वर्मा)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी



स्टेट हेल्थ एजेन्सी-“आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना”  
स्टेट हेल्थ एजेन्सी, उ0प्र0  
चतुर्थ तल, नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ  
email - uprsby@yahoo.co.in



पत्रांक : ए0बी0:पी0एम0जे0ए0वाई0 / पत्रा-431-J / 2025

लखनऊ : दिनांक 29 अप्रैल, 2025

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष (डिस्ट्रिक्ट इम्पैनेलमेंट कमेटी),  
जनपद-प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर,  
लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी

**विषय :- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना अन्तर्गत निजी चिकित्सालयों की सूचीबद्धता हेतु 100 बेड का बाध्यता समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि जनपद स्तर पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत चिकित्सालयों को सूचीबद्ध किये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में “डिस्ट्रिक्ट इम्पैनेलमेंट कमेटी” (D.E.C.) का गठन किया गया है। (D.E.C.) द्वारा जनपद स्तर पर सूचीबद्धता हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों की जांच/भौतिक सत्यापन कराने के पश्चात् अपनी संस्तुति “स्टेट इम्पैनेलमेंट कमेटी” (S.E.C.) को प्रेषित को प्रेषित करती है।

तत्क्रम में पत्रांक ए0बी0:पी0एम0जे0ए0वाई0 / पत्रा-431-J 2023-2024 / 372 दिनांक 09/02/2024 के माध्यम जनपद-प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से चिकित्सालयों की सूचीबद्धता के सम्बन्ध में आई0पी0डी0 मेडिकल बेड्स की संख्या 100 अथवा 100 से अधिक हो एवम् सम्बन्धित चिकित्सालय का मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीकरण 03 वर्ष से अधिक पुराना होना अनिवार्य की बाध्यता की गयी थी।

उक्त के आलोक में इन जनपदों में आयुष्मान के लाभार्थियों की अधिकता को देखते हुए उनको सुविधापरक चिकित्सीय उपचार प्राप्त कराने के उद्देश्य से उक्त एडवाइज़री में शिथिलता प्रदान करते हुए 100 बेड की बाध्यता तथा चिकित्सालय का मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीकरण 03 वर्ष की अनिवार्यता को समाप्त किया जा रहा है।

**संलग्नक-यथोपरि**

भवदीया

(अर्चना वर्मा)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक : ए0बी0:पी0एम0जे0ए0वाई0 / पत्रा-431-J / 2025 8471 तददिनांक

**प्रतिलिपि :-**

- मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद-जनपद-प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अर्चना वर्मा)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी